

2025/316
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

नाम वनाम
किसम मुकदमा मु.नं. 402 वर्ष 2025
136 CR

दिनांक	आज्ञा - पत्र
17/10/25	<p>प्रार्थी लक्ष्मण सिंह पुत्र पेमा राम जाति जाट निवासी ग्राम फतेहपुरा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरुस्त करने के अनुसार वाके ग्राम फतेहपुरा पटवार हल्का गुनावूं तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 252 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि लिखमण पुत्र पेमा दर्ज है, जो कि अशुद्ध है जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्टि लक्ष्मण सिंह पुत्र पेमा राम है। प्रार्थी के नाम से बने दस्तावेजात की प्रतियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि लक्ष्मण सिंह पुत्र पेमा राम अंकित है, जो कि सही है अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि लिखमण पुत्र पेमा के स्थान पर लक्ष्मण सिंह पुत्र पेमा राम दुरुस्त किया जावे।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1216 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.घा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम फतेहपुरा पटवार हल्का गुनावूं तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 252 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि लिखमण पुत्र पेमा के स्थान पर लक्ष्मण सिंह पुत्र पेमा राम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1216 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे।</p> <p>आदेश सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हैं।</p>



उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर
धोद जिला-सीकर

